

न्यायालय उप समाहर्ता भूमि सुधार, रंका ।

राजस्व विविध वाद सं०- 07/2021-22

रामकलिया देवी वगैरह बनाम् जरत सिंह वगैरह


दिनांक	पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश	अभ्युक्ति
29/9/23	<p>अमिलेख उपस्थापित ।</p> <p>अपीलार्थी आवेदिका समकलिया देवी पति- रामधनी चौधरी वगैरह ग्राम- सिरौई कला थाना- रंका जिला- गढ़वा के द्वारा मांग ऑनलाईन करने हेतु यह राजस्व विविध वाद दायर किया गया है। यह कि समकलिया देवी पति- रामधनी चौधरी ग्राम- सिरौई कला को बंदोबस्ती वाद सं०- 22/1984-1985 द्वारा ग्राम- सिरौई कला के खाता प्लॉट पुराना सं०- 685 नया- 1001 में रकबा- 2.00 ए० चौहदी उ०- झरी सिंह, द०- छटु सिंह, पु०- रोड़, प०- गोला कोरवा तथा प्लॉट सं० पुराना- 688 नया- 912 में रकबा- 0.65 ए० चौहदी उ०- नदी, द०- नीज, पु०- शिवनाथ सिंह, प०- बरत सिंह एवं प्लॉट सं० पुराना- 688 नया- 908 में रकबा-0.50 ए० चौहदी उ०- नीज, द०- दुखन चौधरी, पु०- विश्वनाथ सिंह प०- बरत सिंह का बंदोबस्त हुआ है। उक्त भूमि बंदोबस्त रामकलिया देवी को प्राप्त है। हाल सर्वे खतियान में खाता सं०- 1001, 912, 908 दर्ज हुआ है। वर्तमान हाल सर्वे में खतियान में जो भूमि अपीलार्थी को सरकार द्वारा बंदोबस्ती पर्चा से प्राप्त है खाता सं०- 120 के अन्तर्गत प्लॉट सं०- 1001 एवं 908 दोनों प्लॉट में क्रमशः 2.00 ए० व 0.50 ए० कुल 2.50 ए० अनाबाद बिहार सरकार/झारखण्ड सरकार के खाते की भूमि है। बंदोबस्त पर्चा द्वारा ही पुराना प्लॉट सं०- 688 नया- 912 रकबा- 0.65 ए० सरकार द्वारा अपीलार्थी समकलिया देवी को बंदोबस्त है। यह भूमि पूर्व में गैरमजरूआ थी। जिसका पुराना खाता सं०- 1 पूर्व सर्वे में दर्ज है। इस भूमि का पुराना खाता सं०- 1 प्लॉट सं०- 688 रकबा- 0.65 ए० का मांग रामकलिया देवी के नामें चलते आ रहा है। अपीलार्थी के स्वामित्व एवं दखल कब्जे की भूमि पर प्रत्यर्थी क० 1 के संतानों द्वारा जमीन लुटने का प्रयास किया जा रहा है कि पुराना कागज तुम्हारा भले था नया तो हमारे पिता जरत सिंह के नामें है। खाता सं०- 111 (1) सोहराई सिंह पिता- रामकिशुन सिंह (2) जरत सिंह पिता- रामधारी सिंह के नामें है। इसमें 1.45 ए० इन दोनों का आधा-आधा है। अर्थात् सोहराई सिंह का $0.72\frac{1}{2}$ ए० तथा जरत सिंह को $0.72\frac{1}{2}$ ए०, सोहराई सिंह के पोती जिबासों देवी पति गिरवर सिंह को 0.16 ए० प्राप्त हुआ। जिससे 0.16 ए० अपीलार्थी क०स० 2 रामधनी चौधरी लिखवा लिये है। सरकार द्वारा बंदोबस्ती से अपीलार्थी रामकलिया देवी को प्राप्त है। जिसका पूर्व से ऑफलाईन मांग चलते आ रहा है। भूमि पर दखल कब्जा भी अपीलार्थी का है। नये खाता प्लॉट के अनुसार बंदोबस्त रकबा को ऑनलाईन इनके नामें किया</p>	

जाना न्यायसंगत है। पर्चा के अनुसार प्राप्त भूमि ऑनलाईन दर्ज किया जाना जिसका पूर्व से रामकलिया देवी के नाम मांग दर्ज होकर रसीद निर्गत हो गया है।

प्रत्यर्थी का कथन है कि मौजा सिरोंई कला के खाता सं०- 1 प्लॉट सं०- 685, 658 पर यह वाद लाया गया है जो गत सर्वे खतियान में गैरमजरूआ मालिक दर्ज है। मौजा सिरोंई कला के खाता सं०- 1 प्लॉट सं०- 685 रकबा- 14.25 ए० एवं प्लॉट सं०- 688 रकबा- 14.15 ए० कुल रकबा- 28.40 ए० भूमि प्रत्यर्थी पक्ष के दादा रामकिशुन मांझी पिता- बिरबल मांझी को दिनांक 14.08.1987 को रंका राज को मालगुजारी अदा कर कब्जे में प्रत्यर्थी गण चले आ रहे है।

वर्तमान में उक्त वाद में वर्णित भूमि पुराना प्लॉट सं०- 688 का नया प्लॉट सं०- 912 बना है। जिसका रकबा- 1.45 ए० दर्ज है। जो प्रत्यर्थी पक्ष के दादा रामकिशुन सिंह वो जरत सिंह पिता- रामधारी सिंह के नाम बना है। जिसका नया खाता सं०- 111 है तथा पुराना प्लॉट सं०- 685 एवं 688 का नया प्लॉट सं०- 1001 बना है। जिसका खतियान अनाबाद बिहार सरकार एवं दखल सोहराई सिंह वो रकबा- 3.32 ए० प्राप्त है। सोहराई सिंह प्रत्यर्थी पक्ष जरत सिंह के चाचा है। पुराना प्लॉट सं०- 685 एवं 688 का नक्शा देखा जाय तो बहुत ही बड़ा-बड़ाप्लॉट है और गैरमजरूआ भूमि है और अपीलार्थी पक्ष को इस प्लॉट में जो बंदोबस्ती से प्राप्त है कहीं पर अवस्थित है यह स्पष्ट नहीं है। जबकि प्रत्यर्थी पक्ष को उक्त प्लॉट एवं जमींदार द्वारा बंदोबस्ती से प्राप्त भूमि का हाल सर्वे में प्लॉट सं०- 912 एवं 1001 स्पष्ट करता है कि प्रत्यर्थी पक्ष की भूमि है। प्रत्यर्थी के पक्ष के इस खतियानी भूमि के प्लॉट सं०- 912 के रकबा- 0.65 ए० भूमि अपीलार्थी पक्ष हड़पना चाहते है। प्लॉट सं०- 912 के खतियानी रकबा- 1.45 ए० है जो प्रत्यर्थी पक्ष की कब्जे वाली भूमि है। जबकि प्लॉट सं०- 1001 के रकबा- 2.00 ए० भूमि अपीलार्थी पक्ष लुटना चाहते है। जबकि खतियानी रकबा- 3.32 ए० भूमि प्रत्यर्थी पक्ष के दखल कब्जे की भूमि है।

दोनों पक्षों के लिखित ब्यान एवं दलील से स्पष्ट है कि यह मामला खतियान में संशोधन का है। जो इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अतः इस वाद को अस्वीकृत किया जाता है।


उप समाह्वी भूमि सुधार,
रंका।